

53  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा  
बड़जलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 53/14 दावा जी.सी.एम.एस. 00452/2014 दिनांक 22.03.2022

1. मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी मामोर तहसील कनवास जिला कोटा।

—वादी—

—बनाम—

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जयें तहसीलदार कनवास।
2. धन्नलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी मामोर।
3. बद्रीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी मामोर।
4. सुलोचनाबाई पुत्री रामचन्द्र जाति मीना निवासी मामोर।
5. रतनबाई पुत्री रामचन्द्र जाति मीना निवासी मामोर।
6. इन्द्राबाई पुत्री रामचन्द्र जाति मीना निवासी मामोर।
7. महेन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी मामोर।
8. भोजराज पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी मामोर।
9. नवरंगबाई पुत्री भैरूलाल जाति मीना निवासी मामोर।
10. इन्द्रा पुत्री भैरूलाल जाति मीना निवासी मामोर।
11. हेमराज पुत्र रत्तिलाल जाति मीना निवासी मामोर।
12. रेखराज पुत्र रत्तिलाल जाति मीना निवासी मामोर।
13. जगन्नाथी पत्नि रत्तिलाल जाति मीना निवासी मामोर।
14. इन्द्रेशबाई पुत्री रत्तिलाल जाति मीना निवासी मामोर।
15. धनकुंवर पुत्री रत्तिलाल जाति मीना निवासी मामोर तहसील कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :-

वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया  
प्रतिवादी नंबर 01 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।  
प्रतिवादी नंबर 02 लगायत 10 की ओर से एडवोकेट श्री सुरेश गोचर।  
प्रतिवादी नंबर 11 व 12 की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव।  
प्रतिवादी नंबर 13 लगायत 15 के विरुद्ध एक तरफा

निर्णय

वाद खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा जयें एडवोकेट वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पानाहेडा में सम्वत् 2030 से 2033 में खाता संख्या 80 में रामचन्द्र, भैरूलाल बेटे हीरालाल के खाते में खसरा नंबर 340 की रकबा 12 बीघा आराजी स्थित थी।

Page no 1

उपखण्ड अधिकारी  
कनवास जिला कोटा (राजस्थान)

यह कि खातेदारान द्वारा उक्त खसरा नंबर 340की 12 बीघा आराजी में से 4 बीघा आराजी उत्तरी तरफ को जर्जे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.1971 को 400/- रूपये में वादी को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था, तभी से वादी आज तक उक्त 04 बीघा भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। परन्तु तत्कालीन कानून में फ्रेगमेंट होने से उक्त खरीद शुद्धा भूमि का नामान्तरण वादी के नाम दर्ज नहीं हुआ तथा भूमि विक्रेतागण के ही खाते चलती रही ।

यह कि सेटलमेंट सम्वत् 2058 में उक्त आराजी के नये नम्बर निम्न प्रकार दर्ज किये गये।

गत नम्बर	रकबा	नये नम्बर	रकबा हैक्टयर में
340	12 बीघा	872	0.06
		873	0.31
		877	0.43
		878	0.44
		879	0.04
		880	0.35
		883	0.31

यह कि उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2063-2066 में खाता संख्या 139 में रामचन्द्र 1/2 व भैरूलाल के मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान महेन्द्रपाल, भोजराज पुत्रान व किशोरीबाई बेवा के खाते 1/2 दर्ज है।

यह कि फ्रेगमेंट कानून समाप्त हो जाने तथा उसका भूतलक्षी प्रभाव होने से वादी रजिस्टर्ड डीड दिनांक 21.06.1971 का अंकन राजस्व रिकार्ड में कराकर खरीद शुद्धा भूमि का अपने को खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी हो गया है।

यह कि इसी प्रकार ग्राम मामोर में भी जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 में खाता संख्या 80 में कान्हा मुतन्ना माधो व रत्तीलाल पुत्र हीरालाल वगैरा के खाते व कब्जे मे अन्य आराजी के साथ-साथ खसरा नंबर 190 की 19 बीघा 17 बिस्वा व 226 की 17 बीघा 13 बिस्वा आराजी को जर्जे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.1971 को वादी मांगीलाल तथा रामचन्द्र , भैरूलाल पिसरान हीरालाल कोम मीना साकिन मामोर को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया था जिस पर वक्त खरीद से आज तक खरीददारान की तरफ से वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का भी नामान्तरण फ्रेगमेंट कानून की वजह से दर्ज नहीं हो पाया । दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण की तलवी जारी की गई।

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी नंबर 12 व 13 के अधिवक्ता श्री महेश कुमार मालव द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिवादी नंबर 12 व 13 का जवाब बन्द किया गया। पत्रावली पर प्रतिवादी नंबर 02 लगायत 10 की ओर से जर्जे अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार गोचर की ओर से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में जवाब सरकार पेश कर निवेदन किया कि विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं होना बताया तथा कब्जा वादीगण (क्रेता) का होना बताया है। तथा माननीय न्यायालय द्वारा क्रेतागण (वादीगण) के पक्ष में निर्णय पारित

*(Handwritten Signature)*  
 उपस्थित अधिवक्ता  
 कनवास पियल केश राव

करने तथा विक्रय विलेख के आधार पर क्रंतागण (वादीगण) के खाते दर्ज करने में किसी प्रकार की आपत्ति या विरोध नहीं किया गया है। प्रतिवादी नंबर 11,14,15 की दिनांक 15.03.2022 को एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रतिवादी नंबर 12 व 13 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया है। इस प्रकार वादी के वाद का कोई खंडन या विरोध नहीं होता है। बल्कि वादी के वाद पत्र की पुष्टि होती है। वकील वादी द्वारा वहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर वहस अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत विक्रय विलेखों दिनांक 21.06.1971 का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित आराजी रजिस्टर्ड विक्रय प्रतिवादी नंबर 02 लगायत 15 से क्रय की गई है। तथा तत्कालीन फ्रेगमेंट कानून लागू होने से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं हो पाया। वादीगण (क्रंतागण) रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। तथा अपने को खातेदार घोषित कराकर अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम पानाहेडा पटवार मण्डल मामोर तहसील कनवास में स्थित आराजी खसरा नंबर 340 की रकबा 12 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 872 की रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 873 की रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 877 की रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 878 की रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नंबर 879 की रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 880 की रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 883 की रकबा 0.31 हैक्टर में से वादी द्वारा 04 बीघा भूमि क्रय की गई जिसके हाल खसरा नंबर 872 की रकबा 0.06 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 873 की रकबा 0.23 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 880 की रकबा 0.35 हैक्टर सम्पूर्ण, किता 03 की रकबा 0.64 हैक्टर आराजी पर वादी मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी मामोर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा खसरा नंबर 872 की रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 873 की रकबा 0.23 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 880 की रकबा 0.35 हैक्टर, किता 03 की रकबा 0.64 हैक्टर आराजी ग्राम पानाहेडा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादी मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी मामोर का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। तथा इसी प्रकार ग्राम मामोर तहसील कनवास के पुराने खसरा नंबर 190 की रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 429 की रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 430 की रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 431 की रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 432 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 433 की रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नंबर 434 की रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नंबर 435 की रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 436 की रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 451 की रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा नंबर 452 की रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नंबर 453 की रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 454 की रकबा 0.40 हैक्टर दर्ज किये गये में से खसरा नंबर 451 की 0.42 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 452 की रकबा 0.12 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 453 की रकबा 0.09 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 454 की रकबा 0.17 हैक्टर पूर्वी दिशा कुल किता 04 की रकबा 0.80 हैक्टर भूमि ग्राम मामोर पर वादी

उपस्थित अधिकारी  
कनवास जिला कचरा (सिना)

मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी मामोर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है ग्राम मामोर की खसरा नंबर 451 की 0.42 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 452 की रकबा 0.12 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 453 की रकबा 0.09 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 454 की रकबा 0.17 हैक्टर पूर्वी दिशा किता 04 की रकबा 0.80 हैक्टर को मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी मामोर के खाते दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम हटाने के आदेश दिये जाते हैं, तथा इसी प्रकार ग्राम मामोर की खसरा नंबर 226 की 17 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 552 की रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नंबर 553 की रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नंबर 554 की रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 555 की 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 556 की 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 562 की रकबा 0.71 हैक्टर कायम किये गये में से खसरा नंबर 552 की रकबा 0.52 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 553 की 0.28 हैक्टर उत्तरी दिशा कुल किता 02 की रकबा 0.80 हैक्टर आराजी का रामचन्द्र के वारिसान प्रतिवादी नंबर 02 धन्नालाल, प्रतिवादी नंबर 03 बद्रीलाल, प्रतिवादी नंबर 04 सुलोचना प्रतिवादी नंबर 05 रतनबाई, प्रतिवादी नंबर 06 इन्द्राबाई को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा ग्राम मामोर की खसरा नंबर 552 की 0.52 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 553 की रकबा 0.28 हैक्टर उत्तरी दिशा किता 02 की रकबा 0.80 हैक्टर आराजी में से वर्तमान में दर्ज प्रतिवादी के नाम हटाकर प्रतिवादी नंबर 02 धन्नालाल, प्रतिवादी नंबर 03 बद्रीलाल, प्रतिवादी नंबर 04 सुलोचना, प्रतिवादी नंबर 05 रतनबाई प्रतिवादी नंबर 06 इन्द्राबाई के खाते दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं तथा ग्राम मामोर की खसरा नंबर 429 की रकबा 0.08 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 431 की 0.03 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 433 की रकबा 0.37 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 434 की रकबा 0.30 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 435 की रकबा 0.02 हैक्टर सम्पूर्ण कुल किता 05 की रकबा 0.80 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी नंबर 07 महेन्द्र कुमार, प्रतिवादी नंबर 08 भोजराज, प्रतिवादी नंबर 09 नवरंगबाई, प्रतिवादी नंबर 10 इन्द्राबाई पिसरान भैरूलाल जाति मीना निवासी मामोर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा ग्राम मामोर की खसरा नंबर 429 की रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 431 की 0.03 हैक्टर खसरा नंबर 433 की रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नंबर 434 की रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नंबर 435 की रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 05 की रकबा 0.80 हैक्टर भूमि को प्रतिवादी नंबर 07 महेन्द्र कुमार, प्रतिवादी नंबर 08 भोजराज, प्रतिवादी नंबर 09 नवरंगबाई, प्रतिवादी नंबर 10 इन्द्राबाई पिसरान भैरूलाल जाति मीना निवासी मामोर के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार आराजी दर्ज करने के पश्चात शेष बची हुयी रकबा की आराजी को वर्तमान में दर्ज जमाबंदी के खातेदारान का हिस्सा यथावत रखा जावे। निर्णय अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)

उपस्थित अधिकारी  
अनवास गिला कचरा (सि.नं.0)

**अन्तिम डिक्री वमुकदमे इत्तादाई**

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाक्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

प्रकरण संख्या 53/14 दावा जी.सी.एम.एस. 00452/2014 दिनांक 29.03.2022

1. मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी मामोर तहसील कनवास जिला कोटा।

-वादी-

-बनाम-

2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जयें तहसीलदार कनवास।
3. धन्नालाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी मामोर।
4. बद्दीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी मामोर।
5. सुलोचनाबाई पुत्री रामचन्द्र जाति मीना निवासी मामोर।
6. रतनबाई पुत्री रामचन्द्र जाति मीना निवासी मामोर।
7. इन्द्राबाई पुत्री रामचन्द्र जाति मीना निवासी मामोर।
8. महेन्द्र पुत्र भेरूलाल जाति मीना निवासी मामोर।
9. भोजराज पुत्र भेरूलाल जाति मीना निवासी मामोर।
10. नवरंगबाई पुत्री भेरूलाल जाति मीना निवासी मामोर।
11. इन्द्रा पुत्री भेरूलाल जाति मीना निवासी मामोर।
12. हेमराज पुत्र रत्तीलाल जाति मीना निवासी मामोर।
13. रेखराज पुत्र रत्तीलाल जाति मीना निवासी मामोर।
14. जगन्नाथी पत्नि रत्तीलाल जाति मीना निवासी मामोर।
15. इन्द्रेषाबाई पुत्री रत्तीलाल जाति मीना निवासी मामोर।
16. धनकुंवर पुत्री रत्तीलाल जाति मीना निवासी मामोर तहसील कनवास जिला कोटा।

-प्रतिवादीगण-

उपस्थित :-

वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया  
प्रतिवादी नंबर 01 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।  
प्रतिवादी नंबर 02 लगायत 10 की ओर से एडवोकेट श्री सुरेश गोचर।  
प्रतिवादी नंबर 11 व 12 की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव।  
प्रतिवादी नंबर 13 लगायत 15 के विरुद्ध एक तरफा

**वाद खातेदारी घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट**

मुकदमा नं. 53/14 तारीख फैसला 29.03.2022 न्यायालय ब इजलास  
राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई  
रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया , प्रतिवादी नंबर  
01 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास, प्रतिवादी नंबर 02 लगायत 10 की ओर से  
एडवोकेट श्री सुरेश गोचर, प्रतिवादी नंबर 11 लगायत 12 की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार  
मालव, प्रतिवादी नंबर 13 लगायत 15 के विरुद्ध एक तरफा भिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म

58

दिया जाता है, व अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम पानाहेडा पटवार मण्डल मामोर तहसील कनवास में स्थित आराजी खसरा नंबर 340 की रकबा 12 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 872 की रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 873 की रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 877 की रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 878 की रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नंबर 879 की रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 880 की रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 883 की रकबा 0.31 हैक्टर में से वादी द्वारा 04 बीघा भूमि क्रय की गई जिसके हाल खसरा नंबर 872 की रकबा 0.06 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 873 की रकबा 0.23 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 880 की रकबा 0.35 हैक्टर सम्पूर्ण, किता 03 की रकबा 0.64 हैक्टर आराजी पर वादी मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी मामोर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा खसरा नंबर 872 की रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 873 की रकबा 0.23 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 880 की रकबा 0.35 हैक्टर, किता 03 की रकबा 0.64 हैक्टर आराजी ग्राम पानाहेडा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादी मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी मामोर का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। तथा इसी प्रकार ग्राम मामोर तहसील कनवास के पुराने खसरा नंबर 190 की रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 429 की रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 430 की रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 431 की रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 432 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 433 की रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नंबर 434 की रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नंबर 435 की रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 436 की रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 451 की रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा नंबर 452 की रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नंबर 453 की रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 454 की रकबा 0.40 हैक्टर दर्ज किये गये में से खसरा नंबर 451 की 0.42 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 452 की रकबा 0.12 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 453 की रकबा 0.09 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 454 की रकबा 0.17 हैक्टर पूर्वी दिशा कुल किता 04 की रकबा 0.80 हैक्टर भूमि ग्राम मामोर पर वादी मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी मामोर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है ग्राम मामोर की खसरा नंबर 451 की 0.42 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 452 की रकबा 0.12 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 453 की रकबा 0.09 हैक्टर पूर्वी दिशा, खसरा नंबर 454 की रकबा 0.17 हैक्टर पूर्वी दिशा किता 04 की रकबा 0.80 हैक्टर को मांगीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी मामोर के खाते दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम हटाने के आदेश दिये जाते हैं, तथा इसी प्रकार ग्राम मामोर की खसरा नंबर 226 की 17 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 552 की रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नंबर 553 की रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नंबर 554 की रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 555 की 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 556 की 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 562 की रकबा 0.71 हैक्टर कायम किये गये में से खसरा नंबर 552 की रकबा 0.52 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 553 की 0.28 हैक्टर उत्तरी दिशा कुल किता 02 की रकबा 0.80 हैक्टर आराजी का रामचन्द्र के वारिसान प्रतिवादी नंबर 02 धन्नालाल, प्रतिवादी नंबर 03 बद्दीलाल, प्रतिवादी नंबर 04 सुलोचना प्रतिवादी नंबर 05 रतनबाई, प्रतिवादी नंबर 06 इन्द्राबाई को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा ग्राम मामोर की खसरा नंबर 552 की 0.52 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नंबर

553 की रकबा 0.28 हैक्टयर उत्तरी दिशा कित्ता 02 की रकबा 0.80 हैक्टयर आराजी में से वर्तमान में दर्ज प्रतिवादी के नाम हटाकर प्रतिवादी नंबर 02 धन्नालाल, प्रतिवादी नंबर 03 बदीलाल, प्रतिवादी नंबर 04 सुलोचना, प्रतिवादी नंबर 05 रतनबाई प्रतिवादी नंबर 06 इन्द्राबाई के खाते दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं तथा ग्राम मामोर की खसरा नंबर 429 की रकबा 0.08 हैक्टयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 431 की 0.03 हैक्टयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 433 की रकबा 0.37 हैक्टयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 434 की रकबा 0.30 हैक्टयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 435 की रकबा 0.02 हैक्टयर सम्पूर्ण कुल कित्ता 05 की रकबा 0.80 हैक्टयर आराजी का प्रतिवादी नंबर 07 महेन्द्र कुमार, प्रतिवादी नंबर 08 भोजराज, प्रतिवादी नंबर 09 नवरंगबाई, प्रतिवादी नंबर 10 इन्द्राबाई पिसरान भैरूलाल जाति मीना निवासी मामोर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा ग्राम मामोर की ग्राम मामोर की खसरा नंबर 429 की रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नंबर 431 की 0.03 हैक्टयर खसरा नंबर 433 की रकबा 0.37 हैक्टयर, खसरा नंबर 434 की रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नंबर 435 की रकबा 0.02 हैक्टयर कुल कित्ता 05 की रकबा 0.80 हैक्टयर भूमि को प्रतिवादी नंबर 07 महेन्द्र कुमार, प्रतिवादी नंबर 08 भोजराज, प्रतिवादी नंबर 09 नवरंगबाई, प्रतिवादी नंबर 10 इन्द्राबाई पिसरान भैरूलाल जाति मीना निवासी मामोर के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार आराजी दर्ज करने के पश्चात शेष बची हुयी रकबा की आराजी को वर्तमान में दर्ज जमाबंदी के खातेदारान का हिस्सा यथावत रखा जावे। निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दराम किया जावे।

तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिंग ... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 मार्च 2022 को जारी की गई।  
मोहर .....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ....	NIL-.....		स्टाम्प वकालतनामा ....	NIL-.....	
स्टाम्प अर्जी ....			स्टाम्प अर्जी ....		
स्टाम्प वकालतनामा ....			महनताना वकील ....		
स्टाम्प वजह सबूत ....			खर्चा गवाहान ....		
महनताना वकील ....			फीस कमिश्नर ....		
खर्चा गवाहान ....			बाबत इजराय हुकमनामा ....		
फीस कमिश्नर ....			मुतफर्रिक ....		
बाबत इजराय हुकमनामा ....			.... मीजान		
मुतफर्रिक ....					
मीजान ....					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी  
कनवास जिला कलेक्टर (सजद)

Page no 7